मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 714/381/1(3)72   भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त आयुक्तः
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषयः- शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता देना ।

==x==

शासकीय सेवक के सेवाकाल में निधन होने पर उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के प्रश्न पर शासन कुछ समय से विचार कर रहा था कि ऐसे विपत्ति के समय दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को कुछ आर्थिक सहुलियत प्राप्त हो सके । इस संबंध में शासन ने निर्णय लिया है कि यदि किसी शासकीय सेवक का उसके सेवाकाल में निधन हो जाए और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो अर्थात् उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से जीवनोपार्जन का कार्य न करता हो, तो विभागाध्यक्ष उसके परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार दफ्तर से पूछे बिना /हो, ऐसे पद में नियुक्त कर सकता है, जिसमें लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति नहीं की जाती । जहाँ परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है किन्तु उसकी आमदनी सम्पूर्ण परिवार के पालन पोषण के लिए अपर्याप्त हो, वहाँ विभागाध्यक्ष अपने प्रशासकीय विभाग की अनुमति से उसके परिवार के एक और सदस्य को ऊपर बताए अनुसार नियुक्त कर सकेगा । प्रशासकीय विभाग ऐसे मामले में अपनी अनुमति देने के पहले यह सुनिश्चित करेगा कि क्या मृत शासकीय सेवक द्वारा छोड़ा गया परिवार तथा उसकी सम्पत्ति और देनदारी को देखते हुए इस प्रकार की सहूलियत देना जायज है ।

2/ मृत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को नियुक्त तभी किया जा सकेगा जबकि उस पद के लिए उनके पास निर्धारित अर्हताएं उपलब्ध हो, जिस पर उनकी नियुक्तियाँ की जाना हो ।

3/ शैक्षणिक अर्हता में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी । यदि किसी विशेष मामले में आयु सीमा में छूट देना आवश्यक हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व परामर्श लेकर आयु-सीमा में छूट दी जा सकेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता०